



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 वैशाख, 1947 (श०)

संख्या - 185 राँची, मंगलवार,

22 अप्रैल, 2025 (ई०)

जल संसाधन विभाग

संकल्प

7 अप्रैल, 2025

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/1142/2024- 289--

विषय:- निर्माण कार्य श्रेणी में दिनांक-18.07.2022 से प्रभावी वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax, GST) दर 12% के स्थान पर 18% की वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में जल संसाधन विभाग अन्तर्गत कार्य संविदाओं में संबंधित भुगतान/अंतर राशि देयता के संबंध में।

वर्तमान प्रस्ताव जल संसाधन विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत निर्माण कार्य संविदाओं में दिनांक-18.07.2022 से प्रभावी GST दर में 12% से 18% की वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में अंतर राशि देयता की स्वीकृति के संबंध में है।

1. वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या- 20/2017 CT (Rate), दिनांक-22.08.2017 द्वारा GST कर व्यवस्था के तहत, सरकारी कार्यों के लिए Works Contract पर GST की दर 12% लागू किया गया है, जो दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी

है। पुनः अधिसूचना संख्या- 03/2022, दिनांक-13.07.2022 द्वारा Works Contract पर GST की दर 18% अधिसूचित किया गया है, जो दिनांक 18 जुलाई, 2022 से अब तक प्रभावी है।

2. वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना सं०-422 दिनांक- 26.08.2022 द्वारा 'Post- GST payments of pending bills related to work orders issued during Pre-GST period' के संदर्भ में SOP/ Directive निर्गत है, जिसकी कंडिका-8 के अनुसार दिनांक 22.08.2017 से 17.07.2022 तक निर्माण कार्यों में GST की दर 12% के आधार पर भुगतान अनुमान्य होगा तथा दिनांक-18.07.2022 या उसके पश्चात् निर्माण कार्यों में GST की दर 18% के आधार पर भुगतान अनुमान्य होगा। साथ ही SOP के कंडिका-15 में प्रावधान है कि-

'No revision of contractual value should be considered if there is no clause for revision in contractual value due to change in the rate of tax is mentioned in the contract.'

3. उल्लेखनीय है कि जल संसाधन विभाग के Works Contract से संबंधित Standard Bidding Document की Section-1 के कंडिका-13.3 एवं Section-3 के कंडिका- 45.1 में निम्न प्रावधान है:-

13.3- 'All duties, taxes, and other levies payable by the contractor under the contract, or for any other cause shall be included in the rates, prices and total Bid Price submitted by the Bidder.'

45.1- 'The rates quoted by the contractor shall be deemed to be inclusive of the sales and other taxes that the contractor will have to pay for the performance of this Contract. The Contractor will perform such duties in regard to the deduction of such taxes at source as per applicable law.'

4. जल संसाधन विभाग अन्तर्गत Works Contract में GST की दर में वृद्धि के परिपेक्ष्य में कतिपय संवेदकों द्वारा दिनांक-18.07.2022 से GST दर में वृद्धि होने के कारण अतिरिक्त कर राशि के भुगतान का अनुरोध किया जा रहा है। उक्त के परिपेक्ष्य में विभाग अन्तर्गत Works Contract में GST दर में वृद्धि से संबंधित भुगतान/अंतर राशि देयता लागू कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।
5. विदित है कि पथ निर्माण विभाग के संकल्प सं०-प०नि०वि०/06-विविध-23/2024 -3726(S) दिनांक- 09.09.2024 द्वारा "निर्माण कार्य श्रेणी की Goods and Services Tax (GST) दर में वृद्धि लाभ 12% के स्थान पर 18% के परिपेक्ष्य में पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत कार्य संविदाओं में GST संबंधित भुगतान/अंतर राशि देयता हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए अनुमान्य किया गया है।
6. उल्लेखनीय है कि 01 जुलाई, 2018 के पूर्व प्रभावी अनुसूचित दर पुस्तिका में दरों में सभी तरह के Taxes एवं Royalty शामिल थे। परन्तु 01 जुलाई, 2018 से प्रभावी पुनरीक्षित अनुसूचित दर पुस्तिका में दर विश्लेषण में कार्य मदों के दर में GST सम्मिलित नहीं किया गया है, उन पर टैक्स रहित कुल आगणित लागत में 12% GST अथवा उस Contract पर जो कर की दर लागू हो, सम्मिलित किये जाने का प्रावधान है। 01 जुलाई, 2018 के पश्चात अनुसूचित दर-2018 या उसके बाद की प्रकाशित अनुसूचित दर पर आधारित जिन कार्य निविदाओं/संविदाओं में टैक्स रहित आगणित लागत में, उस अवधि में जो GST की दर लागू हो, उसे समाहित किये जाने की आवश्यकता है।

7. जल संसाधन विभाग अन्तर्गत निविदाओं/संविदाओं में GST के दर में वृद्धि के परिपेक्ष्य में अन्तर राशि की देयता हेतु निम्न प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है:-

(क) विभागान्तर्गत वैसी निविदाएँ/संविदाएँ जिनके प्राक्कलन के कार्य मदों में उपयोगित अनुसूचित दर में GST सम्मिलित नहीं किया गया हो तथा जिनके Works Contract में टैक्स रहित कुल आगणित लागत में GST दर (तत्कालीन 12%) अलग से परिगणित हों एवं जो दिनांक-18.07.2022 के पश्चात् पूर्ण हुई हों या प्रगतिशील हों, उनमें दिनांक-18.07.2022 एवं इसके पश्चात् क्रियान्वित शेष कार्य की लागत पर GST के परिवर्तित दर (18%) एवं तदेन प्रभावी दर (12%) के अन्तर राशि की देयता की गणना निम्न रूप से की जाएगी:-

Let us consider the balance works value on or after 18.07.2022	Rs. 100
GST applicable before 18.07.2022	12%
Derived balance works value excluding GST	Rs. 100/1.12 = Rs. 89.29
GST applicable from 18.07.2022 @18% on balance works value excluding GST	Rs. 89.29X 18% = Rs. 16.07
Revised Amount including GST	Rs. 89.29+ Rs. 16.07=Rs. 105.36
Net Impact	Rs. 5.36 or 5.36%

(ख) उपरोक्त प्रभाव दिनांक-18.07.2022 के बाद price adjustment एवं O & M अन्तर्गत भुगतये राशि पर भी लागू होगा।

(ग) GST के तहत निर्माण संविदा कार्य 'Supply of Services' के अन्तर्गत रखा गया है। झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 के अन्तर्गत कर की दर में परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन की तिथि से विभिन्न परिस्थितियों में Time of Supply एवं कर की दर के संदर्भ में निम्न प्रावधानित है:-

Section 14. Change in rate of tax in respect of supply of goods or services :-

Notwithstanding anything contained in section 12 or section 13, the time of supply, where there is a change in the rate of tax in respect of goods or services or both, shall be determined in the following manner, namely :-

(a.) In case the goods or services or both have been supplied before the change in rate of tax-

- Where the invoice for the same has been issued and the payment is also received after the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of receipt of payment or the date of issue of invoice, whichever is earlier; or
- Where the invoice has been issued prior to the change in rate of tax but payment is received after the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of issue of invoice; or

- (iii) Where the payment has been received before the change in rate of tax, but the invoice for the same is issued after the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of receipt of payment;

(b.) In case the goods or services or both have been supplied after the change in rate of tax, -

- (i) Where the payment is received after the change in rate of tax but the invoice has been issued prior to the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of receipt of payment; or
- (ii) Where the invoice has been issued and payment is received before the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of receipt of payment or date of issue of invoice, whichever is earlier; or
- (iii) Where the invoice has been issued after the change in rate of tax but the payment is received before the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of issue of invoice:

उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित Time of Supply के आलोक में प्रभावी GST

की दर एवं तदनुसार ही अन्तर राशि देय होगा।

(घ) अंतर राशि की भुगतान के पूर्व सक्षम प्राधिकार इस आशय से आश्वस्त होना सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित संवेदक द्वारा GST दरों में वृद्धि के कारण बढ़ी हुई कर देनदारी का निर्वहन कर लिया गया है।

(ङ) अंतर राशि के संदर्भ में अन्य दावा, ब्याज आदि अनुमान्य नहीं होगा। भुगतान के पूर्व इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा।

उपर्युक्त निर्णय पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति जल संसाधन विभाग के संलेख जापंक-243 दिनांक-24.03.2025 के क्रम में दिनांक-25.03.2025 की बैठक में मद संख्या-16 के तहत स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेशानुसार,

प्रशांत कुमार,

सचिव,

जल संसाधन विभाग,

झारखण्ड, राँची ।
